न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 134/2014

उनवान

...ा देवी पत्नी सन्तुराम स्वामी नि. ग्राम छापुड़ा कला ढाणी डेरा की,तह. शाहपुरा जयपुर

वादीया

बनाम

...दामी देवी पत्नी भंवरलाल गुर्जर नि. ढाणी गुर्जरो ग्राम छापुड़ा कला तह. शाहपुरा जयपुर
...पपंजीयक शाहपुरा जिला जयपुर।
...राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा।
...ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा जरिये प्रबन्धक शाखा शाहपुरा।
...एस.बी.आई. बैंक शाखा शाहपुरा जरिये प्रबन्धक शाखा शाहपुरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

आदेश दिनांक 30.01.2020

दावा वादीगण संक्षेप में निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.53 है0 वाके ...म छापुड़ा कला तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी मे 1/3 हिस्सा वादीया के नाम ...था 2/3 हिस्सा प्रतिवादीया सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि वादीया एव प्रतिवादीया ... 1 की सामलाती सम्पति है जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीया सं. 1 अपने हिस्से अनुसार शामिल में ...बिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का पूर्व में ना तो कोई बाहमी बंटवारा हुआ है ...र ना ही कोई विधिक बंटवारा हुआ है, इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर सहखातेदार का ...ब्जा माना जावेगा लेकिन प्रतिवादीया सं. 1 लाठी के जोर पर उक्त सम्पति आराजी पर कब्जा कर ...ादीया को बेदखल करना चाहती है तथा विशिष्ठ भू-भाग को लठैत व्यक्तियों को बेचान करने पर अमादा ... प्रतिवादीया सं. 1 वादीया के उक्त विवादित भूमि के अपने हिस्से की काश्त मे मजाहमत पैदा करने लग ...ही है तथा नाजायज द्वेषता रखती है।

यह है कि 20-21 दिन पूर्व वादीया उक्त विवादित आराजी पर अपने हिस्से की भूमि पर खरीफ की ...सल के लिए सुड का कार्य कर रही थी तब प्रतिवादिया सं. 1 अपने पति व दो व्यक्तियों के साथ आयी ...ौर खेतों को हाथों के इशारों से उन व्यक्तियों को सीमाए बताने लगी तब वादिया ने प्रतिवादीया सं. 1 से ...रा बाबत पूछा तो प्रतिवादीया सं. 1 उग्र हो गयी तथा गुस्से में बोली की इस भूमि को मै दीगर व्यक्तियों ...को बेचान कर रही हू जो सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर तुझे बेदखल कर देंगे व इस सम्पति आराजी पर खडे ...पेड पौधो को काटकर इसमें व्यवसायिक निर्माण कार्य करेंगे, वादीया ने प्रतिवादिया सं.1 को समझाने का ...काफी प्रयास किया किन्तु जाते जाते उसने एलानिया धमकी दी है जो बात मैनें की है उसे जल्दी ही ...अमलीजामा पहनाउगी। इस प्रकार प्रतिवादिया सं.1 के उक्त कृत्यों से वादीया व प्रतिवादीया सं.1 के मध्य ...शामिल में काश्त करना सम्भव नही है, व प्रतिवादीया सं. 1 सह काश्तकार नही रहना चाहती है। इसलिए ...वादीया को उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि प्रतिवादीया सं. 1 अपने उक्त अवैध मंसूबो में सफल हो गयी तो वादिया को अकथनीय ...हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में सम्भव नही है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी ...बढेगी। इसलिए न्यायहित मे उक्त विवादित आराजी का बंटवारा वादीया व प्रतिवादिया सं0 1 के मध्य बाई ...मीटर एण्ड बाउण्ड सरस नरस के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुसार करवाया जाकर बाद ...बंटवारा वादीया के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी पैदा नही करने बाबत प्रतिवादिया ...सं. 1 को हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

यह है कि बिनाय दावा प्रतिवादीया सं.1 द्वारा वादिया के अपने हिस्से की भूमि में दखलान्दाजी पैदा ...करने से व उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये विशिष्ट भू भाग का बेचान करने व वादीया को जबरन ...ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर अन्दर मियाद पेश है।

... प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं0 1 की ... जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर जाहिर किया गया कि वादिया का उक्त विवादित आराजी ... कभी कब्जा काश्त नही रहा है तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 1 लगभग 20 वर्ष से काबिज काश्त ... है तथा शेष 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज हो गया था ...

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

दिया का विक्रय पत्र कब्जा स्थानान्तरण के अभाव शुरू से ही अवैध है । विवादित आराजी पर 20 वर्षो से बिना किसी बाधा के मिन प्रतिवादी का काबिज काश्त रहा है । इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक समय तक एडवर्स पजेशन रहने से कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है। अतः विवादित आराजी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादिया का नाम इजाफ करवाया जावे।

प्रकरण मे दिनांक 7.6.17 को लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे दिनांक 29.6.2018 को रिकार्ड पर लिया गया । उक्त प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गई ।

प्रकरण में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ पर ध्यान आकर्षित करते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी मे वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किया जावे । प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित नही हुए तथा न ही प्रकरण में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया । इस प्रकार प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा बंटवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है साथ ही प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी होने से काण्उण्टर क्लेम खारिज किया जाता है।

अतःदावा मुताबिक बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनसुार निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम छापुडा कलां तहसील शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. खसरा नम्बर 32/2 रकबा 0.3533 है प्रतिवादिया बिदामी देवी पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर नि0 छापुडा कलां रहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा

2 खसरा नम्बर 32/1 रकबा 0.1767 है वादिया विमला देवी पत्नि सन्तुराम जाति स्वामी नि0 छापुडा कलां रहिन ओबीसी बैंक शाखा शाहपुरा ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-1-2020 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 134 / 2014

उनवान

...ला देवी पत्नी सन्तुराम स्वामी नि. ग्राम छापुडा कला ढाणी डेरा की,तह. शाहुपरा जयपुर

वादीया

बनाम

बिदामी देवी पत्नी भंवरलाल गुर्जर नि. ढाणी गुर्जरो ग्राम छापुडा कला तह. शाहुपरा जयपुर
उपपंजीयक शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा।
ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा जरिये प्रबन्धक शाखा शाहपुरा।
एस.बी.आई. बैंक शाखा शाहपुरा जरिये प्रबन्धक शाखा शाहपुरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

आदेश दिनांक 30-1-2020

अतः दावा मुताबिक बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.53 है० वाके ग्राम छापुडा कलां तहसील शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. खसरा नम्बर 32/2 रकबा 0.3533 है प्रतिवादिया बिदामी देवी पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर नि० छापुडा कलां रहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा

2 खसरा नम्बर 32/1 रकबा 0.1767 है वादिया विमला देवी पत्नि सन्तुराम जाति स्वामी नि० छापुडा कलां रहिन ओबीसी बैंक शाखा शाहपुरा ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें रें ।

निर्णय आज दिनांक 30-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(...)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 अर्जी के लिए स्टाम्प 4 ...... प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	